



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) सं. 5937/2025

डॉ. समृद्धि दुबे, पिता- श्री संदीप दुबे, आयु- लगभग 25 वर्ष, निवासी- ओम जोन कॉलोनी, शुभम विहार, मंगला, बिलासपुर, जिला- बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

..... याचिकाकर्ता

बनाम

1 - छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़ 492002


2 - निदेशक चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, स्वास्थ्य भवन, सेक्टर 19, नॉर्थ ब्लॉक, अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ 492002

3 - आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा आयुक्तालय, स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, सेक्टर 19, नॉर्थ ब्लॉक, अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ 492002

4 - राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, द्वारा- निदेशक, पॉकेट-14, सेक्टर-8, द्वारका, फेज-1 नई दिल्ली-110077

5 - महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कक्ष क्र. 354, डी. जी. एच. एस. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, दिल्ली-110011

..... उत्तरवादी





(वाद शीर्षक प्रकरण सूचना प्रणाली से लिया गया है)

याचिकाकर्ताओं की ओर से : श्री राजीव श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता सह श्री संदीप दुबे, श्री मानस वाजपेयी एवं श्री कैफ अली रिजवी, अधिवक्ता

उत्तरवादी सं. 1 से 3 की ओर से : श्री शशांक ठाकुर, उप महाधिवक्ता

उत्तरवादी सं. 4 की ओर से : सुश्री श्रेया पवन दागा, श्री धीरज वानखेड़े, अधिवक्ता की ओर से

याचिकाकर्ता सं. 5 की ओर से : सुश्री अनमोल शर्मा, स्थायी अधिवक्ता

माननीय श्री रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश

माननीय श्री बिभू दत्त गुरु, न्यायाधीश

पीठ पर निर्णय

द्वारा- श्री रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश

20/11/2025

1. श्री राजीव श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता सह श्री संदीप दुबे, श्री मानस वाजपेयी एवं श्री कैफ अली रिजवी, याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता; श्री शशांक ठाकुर, राज्य/उत्तरवादी सं. 1 से 3 की ओर से उपस्थित उप महाधिवक्ता; उत्तरवादी सं. 4 के विद्वान अधिवक्ता श्री धीरज वानखेड़े की ओर से उपस्थित सुश्री श्रेया पवन दागा तथा भारत संघ/उत्तरवादी सं. 5 की स्थायी अधिवक्ता सुश्री अनमोल शर्मा को सुना गया।



2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता निम्नलिखित अनुतोषों की मांग करती है:

“10.1 माननीय न्यायालय निर्देश, उत्प्रेषण ('सर्टिओररी') की प्रकृति का एक रिट जारी कर छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2025 के नियम 11 (क) को भारत के संविधान के अनुच्छेद का उल्लंघनकारी होने के कारण अधिकारातीत/असंवैधानिक घोषित करने की कृपा करे।

10.2 माननीय न्यायालय निर्देश, उत्प्रेषण ('सर्टिओररी') की प्रकृति का एक रिट जारी कर छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2025 के नियम 11 (ख) को भारत के संविधान के अनुच्छेद का उल्लंघनकारी होने के कारण अधिकारातीत/असंवैधानिक घोषित करने की कृपा करे।

10.3 माननीय न्यायालय निर्देश, उत्प्रेषण ('सर्टिओररी') की प्रकृति का एक रिट जारी कर सकता है और उत्तरवादियों को छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2025 के नियम 11 (क) और नियम 11 (ख) में उल्लिखित श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मध्य भेदभाव न करने का निर्देश देने की कृपा करे।

10.4 यह माननीय प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में न्यायसंगत और उचित समझी जाने वाली विषयगत विवाद में दावे के अतिरिक्त कोई अन्य अनुतोष प्रदान करने की कृपा करे।”

3. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता छत्तीसगढ़ राज्य की स्थायी निवासी है, उसके माता-पिता भी छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी निवासी हैं। याचिकाकर्ता ने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से पूरी की। वर्ष 2018 में, याचिकाकर्ता



ने एम. बी. बी. एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षण (स्नातक) परीक्षा, 2018 में भाग लिया और इसके अखिल भारतीय रैंक के आधार पर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित चिकित्सा परिषद समिति द्वारा आयोजित परामर्श (काउंसिलिंग) के आधार पर याचिकाकर्ता को व्ही. एम. के. व्ही. चिकित्सा कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, सलेम आवंटित किया गया। याचिकाकर्ता ने 2023 में अपना एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया और 07/04/2023 से 06/04/2024 तक अपनी अनिवार्य घूर्णन चिकित्सा इंटरनशिप भी सफलतापूर्वक पूरी की। याचिकाकर्ता ने तमिलनाडु चिकित्सा काउंसिल के साथ-साथ छत्तीसगढ़ चिकित्सा काउंसिल से भी अपना चिकित्सा पंजीयन प्रमाण-पत्र मिला है।

4. तत्पश्चात् उत्तरवादी सं. 4 के कार्यालय ने स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के उद्देश्य से राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षण (स्नातकोत्तर) [एन. ई. ई. टी. (पी. जी.)-2025)] आयोजित करने के लिए अधिसूचना जारी किया, जो केवल ए.आई.आई.एम.एस. को छोड़कर सभी भारतीय महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के उद्देश्य से परीक्षण है। याचिकाकर्ता ने चिकित्सा विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षण बोर्ड के माध्यम से एन. ई. ई. टी. (पी. जी.) परीक्षण 2025 में सम्मिलित होने के लिए आवेदन किया और ऑनलाइन आवेदन जमा किया और एन.ई.ई.टी. (पी.जी.)-2025 में सम्मिलित होने के लिए प्रवेश पत्र प्राप्त किया तथा परीक्षा 03.08.2025 को आयोजित की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता सफलतापूर्वक उपस्थित हुई और एन. ई. ई. टी. (पी. जी.)- 2025 परीक्षण उत्तीर्ण की और अखिल भारतीय रैंक 75068 प्राप्त किया। परिणाम को देखते हुए, याचिकाकर्ता स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने की पात्र है।

5. राज्य सरकार ने स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के उद्देश्य से 09.12.2021 दिनांकित राजपत्र से, छत्तीसगढ़ चिकित्सा महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश अधिनियम, 2002 (संक्षेप में 2002 का अधिनियम) के अंतर्गत छत्तीसगढ़



चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2021 नाम के नियम बनाए हैं। उस समय, स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2021 प्रभावी था, जो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित महाविद्यालयों के तहत स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश उपबंधित करता है। पुराने स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2021 में, नियम 4 "एन.आर.आई. छात्रों के प्रवेश के लिए पात्रता हेतु अतिरिक्त शर्तें" उपबंधित करता है, नियम 5 "प्रवेश के लिए अयोग्यता" उपबंधित करता है, नियम 6 से 8 "सीटों का आरक्षण" उपबंधित करते हैं, नियम 9 "सेवारत अभ्यर्थियों के लिए बोनस अंक" उपबंधित करता है, नियम 10 "प्रावीण्य सूची" (मेरिट लिस्ट) उपबंधित करता है, नियम 11 "प्रवेश हेतु वरीयता" उपबंधित करता है। स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2021 के नियम 11 (क) में उपबंधित है कि राज्य कोटे में उपलब्ध सीटों पर प्रवेश पहले उन अभ्यर्थियों को दिया जाएगा जिन्होंने या तो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित चिकित्सा महाविद्यालय से एम.बी.बी.एस. की डिग्री प्राप्त की है या जो सेवारत उम्मीदवार हैं। स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2021 के नियम 11 (ख) में उपबंधित है कि यदि नियम 11 के उप नियम (ख) में उल्लिखित सभी योग्य अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के बाद सीटें रिक्त रहती हैं, तो उन रिक्त सीटों पर ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर स्थित चिकित्सा महाविद्यालय से एम.बी.बी.एस. की डिग्री प्राप्त की है, परन्तु छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी हैं। इस प्रकार, यह नियम अन्य विश्वविद्यालय से एम.बी.बी.एस. की डिग्री रखने वाले छात्रों को दो श्रेणियों में विभाजित कर उनके बीच भेदभाव पैदा करता है- एक वे जो छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालयों से उत्तीर्ण हुए हैं और दूसरे वे अभ्यर्थी जिनके पास छत्तीसगढ़ के बाहर से डिग्री है।

6. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री श्रीवास्तव निवेदन करते हैं कि याचिकाकर्ता ने पूर्व में रिट याचिका (सिविल) सं. 4702/2025 (डॉ. समृद्धि दुबे बनाम छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य) प्रस्तुत कर प्रवेश नियम, 2021 के नियम 11 (क) और नियम 11 (ख) के भाग को चुनौती दी थी। उक्त मामला 04/09/2025 को सुनावार्ड के लिए आया और सुनवाई के बाद, इस माननीय न्यायालय ने नोटिस जारी कर राज्य को



दो सप्ताह के भीतर विवरणी प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिया तथा बाद में याचिकाकर्ता को प्रत्युत्तर, यदि कोई हो तो, दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय प्रदान किया। इसके बाद यह मामला इस माननीय न्यायालय के समक्ष 10.11.2025 पर सुनवाई के लिए आया, और सुनवाई के दौरान, राज्य की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने निवेदन किया कि नए छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2025 लागू हो गए थे और इस तरह, याचिकाकर्ता ने एक नई रिट याचिका दायर कर छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2025 (संक्षेप में, 2025 के नियम)। के नियम 11 (क) और 11 (ख) को चुनौती देने की स्वतंत्रता के साथ उक्त याचिका को वापस ले लिया।

7. श्री श्रीवास्तव निवेदन करते हैं कि 2025 के नियमों के नियम 4 में "एन.आर.आई. छात्रों के प्रवेश हेतु पात्रता के लिए अतिरिक्त शर्तें" उपबंधित की गई हैं। नियम 5 "प्रवेश के लिए अयोग्यता" उपबंधित करता है, नियम 6 से 8 "सीटों का आरक्षण" उपबंधित करते हैं, नियम 9 "सेवा अभ्यर्थियों के लिए बोनस अंक" उपबंधित करता है, नियम 10 "योग्यता सूची" उपबंधित करता है, नियम 11 "प्रवेश के लिए वरीयता" उपबंधित करता है। पुराने नियम, 2021 के नियम 11 (क) और 11 (ख) और नए नियम, 2025 के नियम 11 (क) और 11 (ख) एक-दूसरे के समान हैं और इनका वही प्रभाव है जो छत्तीसगढ़ से डिग्री प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को 100% आरक्षण प्रदान करता है, क्योंकि पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय केवल छत्तीसगढ़ राज्य के क्षेत्राधिकार में है। नियम 11 (क) और (ख) को ध्यान में रखते हुए, जो विश्वविद्यालय आधारित आरक्षण प्रदान करता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होने के कारण असंवैधानिक है क्योंकि यह राज्य के निवासी और अन्य सभी के मध्य एक अनुचित वर्गीकरण निर्मित करता है।

8. श्री श्रीवास्तव निवेदन करते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने इसी तरह के मामले को सिविल अपील सं. 9289/2019 (डॉ. तन्वी बहल बनाम श्रेय गोयल व अन्य) में बड़ी पीठ को निर्देशित (रेफर) किया। तत्पश्चात् बड़ी पीठ ने संबंधित



विवाद्यक को निर्णीत किया है जो 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी.सी.180 में प्रतिवेदित है, जिसमें यह टिप्पणी की गई है कि यदि इस तरह के आरक्षण की अनुमति दी जाती है तो यह कई छात्रों के मौलिक अधिकारों पर आक्रमण होगा, जिनके साथ केवल इस कारण से असमान व्यवहार किया जा रहा है कि वे संघ में एक अलग राज्य से संबंधित हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 14 में समानता खंड का उल्लंघन होगा और विधि के समक्ष समानता से इनकार करने के बराबर होगा।

9. श्री श्रीवास्तव निवेदन करते हैं कि याचिकाकर्ता को पता चला है कि पिछले वर्ष, किसी भी उम्मीदवार को स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2025 के नियम 11 (ख) के तहत प्रवेश नहीं मिला था। आगे उन्होंने कहा कि इसी प्रकार के विवाद्यक पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एक युगल पीठ द्वारा सावन बोहरा व एक अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य व अन्य (19.11.2025 को निर्णीत रिट याचिका सं. 32169/2025) के प्रकरण में विचार किया गया है, जिसमें डॉ. तन्वी बहल (पूर्वोक्त) के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का अवलंब लिया गया है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह था कि क्या राज्य द्वारा स्नातकोत्तर चिकित्सीय पाठ्यक्रमों में निवास आधारित आरक्षण संवैधानिक रूप से द्वारा मान्य था। सर्वोच्च न्यायालय ने **प्रदीप जैन व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य** {(1984) 3 एस.सी.सी. 654} तथा **सौरभ चौधरी बनाम भारत संघ** {(2023) 11 एस.सी.सी. 146} में दिए गए निर्णयों के आलोक में टिप्पणी की कि स्नातकोत्तर चिकित्सीय पाठ्यक्रमों में निवास आधारित आरक्षण अनुज्ञेय नहीं था। अतः यह याचिका स्वीकार किए जाने योग्य है।

10. दूसरी ओर, राज्य/उत्तरवादी सं. 1 से 3 की ओर से उपस्थित विद्वान उप अधिवक्ता श्री शशांक ठाकुर निवेदन करते हैं कि किसी भी नियम/विधान के अधिकार को संवैधानिकता के आधार पर चुनौती दी जाती है। किसी भी अधिनियम के अधिकारों को केवल तभी चुनौती दी जा सकती है जब नियम निर्माता के पास विधायी क्षमता का अभाव हो, जब इसे मूल अधिनियम को सक्षम बनाकर प्रदत्त शक्ति से अधिक किया जाता



है, जब प्रत्यायोजित विधान मूल अधिनियम को सक्षम करने के साथ संघर्ष करता है, जब पूरा विधान या उसका भाग भारत के संविधान या क्षेत्र में प्रचलित/मौजूदा किसी अन्य विधि के उपबंध के विरुद्ध हो। इसलिए उपरोक्त शर्तों में से कोई भी नियम, 2025 को चुनौती देने के लिए याचिकाकर्ता के लिए उपलब्ध नहीं है।

11. श्री ठाकुर आगे निवेदन करते हैं कि पहले प्रवेश नियम, 2021 लागू थे और प्रवेश नियम, 2021 के नियम 11 (क) और 11 (ख) में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित चिकित्सा कॉलेज में राज्य कोटे में पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के संबंध में वरीयता दी गई थी। यह निवेदन किया जाता है कि नियम 2021 के नियम 11 (ख) में अधिवास के आधार पर अभ्यर्थियों को वरीयता प्रदान करने के संबंध में एक प्रावधान था, यद्यपि, अधिवास के आधार पर उक्त वरीयता को प्रवेश नियम 2025 में हटा दिया गया है क्योंकि प्रवेश नियम 2025 के नियम 11 (ख) में ऐसी शर्तें या प्रावधान नहीं थे। पं. दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल हेल्थ सेंटर और आयुष विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ के तहत मान्यता प्राप्त कुल 10 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय और 4 निजी चिकित्सा महाविद्यालय हैं। आयुष विश्वविद्यालय के तत्वावधान में चिकित्सा महाविद्यालयों में अभ्यर्थियों को अखिल भारतीय कोटे, निजी महाविद्यालयों के प्रबंधन मैनेजमेंट कोटे तथा एन.आर.आई. कोटे में अखिल भारतीय स्तर परामर्श के माध्यम से प्रवेश दिया जाता है। स्नातक और स्नातकोत्तर प्रवेश में 50 प्रतिशत सीटें अखिल भारतीय कोटे के लिए आरक्षित हैं, जबकि 50 प्रतिशत सीटें राज्य कोटे के लिए आरक्षित हैं। अखिल भारतीय कोटा में प्रवेश एम. सी. सी. (चिकित्सा परामर्श समिति) द्वारा किया जाता है, जबकि राज्य कोटे की 50 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश चिकित्सा शिक्षा निदेशालय/चिकित्सा शिक्षा आयोग द्वारा किया जाता है। नियम, 2025 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में 50 प्रतिशत राज्य कोटा सीटों के संबंध में प्रवेश को विनियमित करते हैं। नियम, 2021 में अधिवास के आधार पर आरक्षण का उपबंध था और डॉ. तन्वी बहल (पूर्वोक्त) के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद राज्य ने नए नियम बनाए हैं जो नियम, 2025 हैं। श्री ठाकुर निवेदन करते हैं कि माननीय सर्वोच्च



न्यायालय का निर्णय बहुत स्पष्ट है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में निवास आधारित आरक्षण की अनुमति नहीं है, यद्यपि, संस्थान आधारित आरक्षण को मंजूरी दे दी गई है। नियम, 2025 का नियम 11 प्रवेश में दी जाने वाली वरीयता से संबंधित है, और नियम 11(क) यह निर्धारित करता है कि राज्य कोटे की सीटों में उन अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी जिन्होंने अपना एम.बी.बी.एस. कोर्स आयुष विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों से पूरा किया है; इसके अतिरिक्त, नियम 11(ख) यह प्रतिपादित करता है कि सभी पात्र अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के बाद, शेष सीटें उन अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी जिन्होंने राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों से अपनी एम.बी.बी.एस. की डिग्री प्राप्त की है, और यह चयन योग्यता (मेरिट) के आधार पर किया जाएगा। नियम 11 (क) अभ्यर्थियों को संस्थागत प्राथमिकता देता है और जिन अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाती है, वे आवश्यक रूप से छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी नहीं हो सकते हैं क्योंकि अधिकांश उम्मीदवार जो अखिल भारतीय सीटों के तहत आयुष विश्वविद्यालय से संबद्ध विश्वविद्यालयों में एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश चाहते हैं, वे अन्य राज्यों के निवासी हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि कोई भेदभाव नहीं है क्योंकि वे अभ्यर्थी जो उम्मीदवार अन्य राज्यों के निवासी हैं, उन्हें संस्थानों के आधार पर वरीयता दी जा रही है। श्री ठाकुर निवेदन करते हैं कि प्रस्तुत प्रकरण में सम्मिलित विवाद्यक **सावन बोहरा** (पूर्वोक्त) के प्रकरण के विवाद्यक के समान है जिसमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है।

12. न तो उत्तरवादी सं. 4 और 5 की ओर से कोई विवरणी प्रस्तुत की गई है और न ही उनके संबंधित अधिवक्ता द्वारा कोई निवेदन किया गया है।

13. दायर किए गए प्रत्युत्तर का अवलंब लेते हुए श्री श्रीवास्तव निवेदन करते हैं कि नियम, 2025 के नियम 11(क) एवं 11(ख) **डॉ. तन्वी बहल** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के विरुद्ध हैं और ऐसे में यह कहना सही नहीं होगा कि इसे चुनौती देने हेतु याचिकाकर्ता के पास कोई आधार नहीं है।



14. हमने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा संलग्न अभिवचनों और दस्तावेजों का परिशीलन किया है।

15. जिन नियमों को चुनौती दी गई है अर्थात् नियम, 2025 के नियम 11 (क) और 11 (ख) इस प्रकार हैं:

“11. प्रवेश में वरीयता :-

(क) राज्य कोटे में उपलब्ध सीटों पर सर्वप्रथम उन अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा, जिन्होंने या तो पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृती स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ से संबद्ध चिकित्सा महाविद्यालय से एमबीबीएस डिग्री प्राप्त की हो अथवा जो सेवारत अभ्यर्थी हो।

(ख) उपरोक्त उप-नियम (क) में उल्लिखित सभी पात्र अभ्यर्थियों को प्रवेश दिए जाने के उपरान्त यदि सीटें रिक्त रह जाती हैं, तो इन रिक्त सीटों पर, ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा जिन्होंने नियम 11(क) में उल्लिखित के अतिरिक्त किसी अन्य चिकित्सा महाविद्यालय से एमबीबीएस डिग्री प्राप्त की हो।”

16. डॉ. तन्वी बहल (पूर्वोक्त) के प्रकरण में, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न था कि क्या किसी राज्य द्वारा स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में निवास-आधारित आरक्षण प्रदान करना संवैधानिक रूप से वैध है। सर्वोच्च न्यायालय ने विचारार्थ प्रश्नों को निम्नानुसार निर्धारित किया:

“1. क्या राज्य कोटे के भीतर "स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों" में प्रवेश में अधिवास/निवास-आधारित आरक्षण का प्रावधान संवैधानिक रूप से अमान्य है और इसकी अनुमति नहीं है?

2. (क) यदि पहले प्रश्न का उत्तर नकारात्मक है और यदि "स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों" में प्रवेश में अधिवास/निवास-आधारित आरक्षण



की अनुमति है, तो राज्य कोटा सीटों के भीतर "स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों" में प्रवेश के लिए इस तरह के अधिवास/निवास-आधारित आरक्षण प्रदान करने की सीमा और तरीका क्या होना चाहिए?

2.(ख) यदि "स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों" में प्रवेश में अधिवास/निवास-आधारित आरक्षण की अनुमति है, यह देखते हुए कि सभी प्रवेश एन. ई. ई. टी. में प्राप्त योग्यता और रैंक के आधार पर होने चाहिए, तो केवल एक चिकित्सा महाविद्यालय वाले राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में इस तरह के अधिवास/निवास-आधारित आरक्षण प्रदान करने का क्या तरीका होना चाहिए?

3. यदि पहले प्रश्न का उत्तर सकारात्मक है और यदि "स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों" में प्रवेश में अधिवास/निवास-आधारित आरक्षण की अनुमति नहीं है, तो अनुमेय संस्थागत वरीयता सीटों के अलावा राज्य कोटा सीटों को कैसे भरा जाना है?"

17. **डॉ. तन्वी बहल** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में, **प्रदीप जैन** (पूर्वोक्त) तथा **सौरभ चौधरी** (पूर्वोक्त) के प्रकरणों के निर्णयों को ध्यान में रखकर सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है :

“31. हम सभी भारत के क्षेत्र के अधिवासी हैं। हम सभी भारत के निवासी हैं। एक देश के नागरिकों और निवासियों के रूप में हमारा साझा बंध पत्र हमें न केवल भारत में कहीं भी अपना निवास चुनने का अधिकार देता है, परन्तु हमें भारत में कहीं भी व्यापार और व्यवसाय या पेशे को जारी रखने का अधिकार भी देता है। यह हमें पूरे भारत के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश लेने का अधिकार भी देता है। किसी विशेष राज्य में रहने वालों को चिकित्सा महाविद्यालयों सहित शैक्षणिक



संस्थानों में 'आरक्षण' का लाभ केवल एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रमों में एक निश्चित डिग्री को दिया जा सकता है, जिसके लिए हमने पिछली कण्डिका में कारण दिए हैं। परन्तु स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम में विशेषज्ञ डॉक्टरों के महत्व को देखते हुए, 'निवास' के आधार पर उच्च स्तर पर आरक्षण भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। **जगदीश सरण** और **प्रदीप जैन** दोनों में इसे स्पष्ट रूप से समझाया गया है। यदि इस तरह के आरक्षण की अनुमति दी जाती है तो यह कई छात्रों के मौलिक अधिकारों पर आक्रमण होगा, जिनके साथ केवल इस कारण से असमान व्यवहार किया जा रहा है कि वे संघ में एक अलग राज्य से हैं! यह संविधान के अनुच्छेद 14 में समानता खंड का उल्लंघन होगा और विधि के समक्ष समानता से इनकार करने के बराबर होगा।

32. **जगदीश सरण** और **प्रदीप जैन** में प्रतिपादित विधि का इस न्यायालय ने **सौरभ चौधरी** के प्रकरण में संविधान पीठ के निर्णय सहित अनेक निर्णयों में पालन किया है। हम यहाँ **मगन मेहरोत्रा व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य (2003) 11 एस. सी. सी. 186**, **निखिल हिम्मतानी बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य (2013) 10 एस. सी. सी. 237**, **विशाल गोयल व अन्य बनाम कर्नाटक राज्य व अन्य (2014) 11 एस. सी. सी. 456** तथा **नील ऑरेलियो नून्स (अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण) व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य** के प्रकरणों में दिए गए निर्णयों को भी संदर्भित किया जा सकता है जिनका अनुसरण **प्रदीप जैन** के प्रकरण में किया गया है।

33. उपरोक्त निर्धारण करने के बाद कि स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों



में निवास-आधारित आरक्षण की अनुमति नहीं है, संस्थान-आधारित आरक्षण की उचित सं. के अलावा राज्य कोटा सीटों को अखिल भारतीय परीक्षण में योग्यता के आधार पर सख्ती से भरा जाना चाहिए। इस प्रकार, राज्य द्वारा अपने कोटे में भरी जाने वाली 64 सीटों में से 32 को संस्थागत वरीयता के आधार पर भरा जा सकता था, और ये वैध हैं। परन्तु केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ पूल के रूप में निर्धारित अन्य 32 सीटों को निवास के आधार पर गलत तरीके से भरा गया था, और हम इस महत्वपूर्ण पहलू पर उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को संपुष्ट करते हैं।"

18. जगदीश सरण (पूर्वोक्त) के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की

"39. यदि देश में प्रत्येक व्यक्ति के लिए अवसर की समानता संविधान द्वारा प्रदत्त है, तो एक उम्मीदवार जो किसी दूसरे से अन्य से अधिक अंक प्राप्त करता है, वह प्रवेश के लिए वरीयता का हकदार है। समान अंकों के लिए समान अवसर के इस नियम के अनुसार, सर्वश्रेष्ठ का चयन करते समय योग्यता की परीक्षा होनी चाहिए। जब हम स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों जैसे शिक्षा के उच्च स्तर तक पहुँचते हैं तो इस प्रस्ताव का अधिक महत्व होता है। आखिरकार, चिकित्सा जैसे किसी भी महत्वपूर्ण क्षेत्र में शीर्ष तकनीकी विशेषज्ञता राष्ट्र की मानव संपत्ति जिसके बिना इसकी प्रगति और विकास बाधित होगा। उच्च श्रेणी के कौशल या विशेष प्रतिभा की भूमिका शिक्षा, नौकरियों और सामाजिक असंगतता के विषयों के निचले स्तरों पर कम हो सकती है, परन्तु परिष्कृत कौशल और रणनीतिक रोजगार के उच्च स्तरों पर अधिक हो



सकती है। शिखर सम्मेलन में योग्यता का अवमूल्यन करना पेशेवर विशेषज्ञता के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में देश के विकास के साथ काम करना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी और विकासात्मक महत्व के अन्य विशेष क्षेत्रों में, प्रदर्शन के सटीक मानकों के संबंध में आलस या आसानी से ढील देना एक गंभीर राष्ट्रीय जोखिम हो सकता है क्योंकि उन्नत चिकित्सा और उच्च ज्ञान के अन्य महत्वपूर्ण विभागों में, जो भौतिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण हैं, भारत के लोगों को उस सर्वश्रेष्ठ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए जो देश की सुप्त प्रतिभा पैदा कर सकती है। यदि इन क्षेत्रों में सबसे अच्छी संभावना आरक्षण के रूप में लोकप्रिय विचारों के लिए ठंडे कंधों पर है, तो पीड़ित, लंबे समय में, स्वयं लोग हो सकते हैं। बेशक, सर्वश्रेष्ठ के चयन में यह निरंतर सख्ती अन्य स्तरों पर इतनी अनिवार्य नहीं हो सकती है जहां दक्षता का एक व्यापक उपाय पर्याप्त हो सकता है और केवल बेकारों को बाहर निकालने की आवश्यकता है।"

19. उपरोक्त टिप्पणी का **सौरभ चौधरी** (पूर्वोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पालन किया गया है।

20. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने **सावन बोहरा** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में, इसी तरह के एक विवाद्यक पर फैसला सुनाते हुए, रिट याचिका को मंजूरी दे दी है। न्यायालय ने प्रतिवादी राज्य को निर्देश दिया है कि वह याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ अन्य समान स्थिति वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करने और उसमें हिस्सा लेने की अनुमति दे। चूंकि इस याचिका में शामिल विवाद्यक **सावन बोहरा** (पूर्वोक्त) के प्रकरण जैसा ही है, इसलिए हमारी यह सुविचारित राय है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने उस मामले में जो रुख अपनाया था, उससे अलग कोई रुख नहीं अपनाया जा सकता।



21. डॉ. तन्वी बहल (पूर्वोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के सिद्धांत को देखते हुए, छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2025 के नियम 11(क) और (ख) को रद्द किया जाता है। ये नियम अधिकारातीत हैं और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं। राज्य, छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2025 के नियम 11(क) और (ख) में बताई गई श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों के बीच कोई भेदभाव नहीं करेगा।

22. परिणामस्वरूप, यह याचिका स्वीकार की जाती है। वाद-व्यय के विषय में कोई आदेश नहीं।

सही/-

(बिभू दत्त गुरु)

न्यायाधीश

सही/-

(रमेश सिन्हा)

मुख्य न्यायाधीश

### शीर्ष टिप्पण

प्रवेश देते समय, विशेष रूप से उच्च और विशेष पाठ्यक्रमों में, शैक्षणिक मानकों की रक्षा के लिए योग्यता प्रबल होनी चाहिए; संस्थागत आरक्षण या अधिवासी आरक्षण की आड़ में ऐसे स्तरों पर योग्यता में ढील देने से महत्वपूर्ण व्यवसायिक उत्कृष्टता से समझौता करने का जोखिम होगा।



**(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)**

**अस्वीकरण:** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

